

कार्यालय नगर पंचायत, खुसरूपुर(पटना)

Email ID- Khusrupur.Np@gmail.Com

पत्रांक 1082

C.E S.S (JPM)

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खुसरूपुर

सेवा में,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

29 AUG 2017

783



खुसरूपुर, दिनांक - 19/08/17

विषय :- अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1187/15-16 का लंबित अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15) समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत खुसरूपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1187/15-16 का लंबित अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15) का वस्तुस्थिति/अनुपालन क्रमवार निम्न प्रकार है :-

अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति

वस्तुस्थिति / अनुपालन

1. शम्भू नाथ सहाय द्वारा अप्रस्तुत होलिंग रसीद

उक्त कर संग्राहक से संबंधित प्राप्त H रसीद(होलिंग) रसीद प्राप्त कर अंकेक्षण कार्य के समय प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।

2. भाऊचर का संधारण नियमानुकूल नहीं

आपत्तियों में दिय गए विन्दुओं के अनुसार भाऊचर का संधारण कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

3. रोकड़ वही का पूर्ण संधारण नहीं

अंकेक्षण के दौरान ही आपको दिखा दिया गया था एवं निर्देशनुसार सभी मदों का वर्षवार 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की विवरणी पुनः दिनांक 26/06/2015 को ही आपको हस्तगत करवा दिया गया है।

4. मकान कर की राशि रूपये 892 कम जमा

अंकेक्षण के दौरान राशि 892 रूपये जमा कर आपको प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसका छाया प्रति पुनः संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

5. अप्रस्तुत अभिश्रव

अप्रस्तुत अभिश्रव को अंकेक्षण के समय प्रस्तुत के दिया गया था। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपयोगिता अप्रस्तुत

अंकेक्षण के दौरान ही सभी अभिश्रवे आपको प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

7. योजना क्रमों में विलम्ब शुल्क कटौती नहीं

योजनाओं के कियान्वयन के क्रम में प्रावधानों के अंतर्गत ससमय दिए गए आवेदनों पर व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों को मद्देनजर रखते हुए ससमय विस्तार की स्वीकृति दी गई थी जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे विलोपित किया जाए।

8. SJSRY के उपरांत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से आयकर कर की कटौती नहीं

आयकर कटौती से संबंधित जानकारी का आभाव एवं दक्ष कर्मचारी नहीं होने के कारण आयकर की कटौती नहीं की गई इस संबंध में समाधान सेवा समिति को आयकर जमा करने के संबंध में सुचना दे दी गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

9. व्यय का व्यौरा

अंकेक्षण के दौरान इसे प्रस्तुत कर दिया गया था।

10. शिक्षा एवं स्वास्थ्य की राशि जमा नहीं करने के संबंध में

इसके संबंध में किस शीर्ष में राशि जमा की जानी है इसकी जानकारी निकाय को नहीं है। अतएव इस संबंध में नगर विकास विभाग के पत्राचार कर जानकारी प्राप्त होने पर समुचित करवाई की जाएगी।

11. सक्शन मशीन के क्रय निरर्थक व्यय

सक्शन मशीन का क्रय नगर निकाय में नागरिक के शौचालय की टंकी की सफाई की आवश्यकताओं को देखते हुए क्रय किया गया है ताकि ससमय आवश्यकता अनुसार जरूरत मंद लोगो को इसका लाभ दिया जा सके। अतः अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।

12. वगैर उपयोगिता के चार छोटा फोगिंग मशीन का क्रय किये जाना

नगर पंचायत छोटी-छोटी गलियाँ अत्यधिक होने के कारण छोटा फोगिंग मशीन का क्रय किया गया था ताकि नगर पंचायत के नागरिको का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके क्योंकि इस संबंध में सरकारी स्तर से निरंतर निर्देश प्राप्त होता रहता है। इस संबंध में लॉगबुक की छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है अतः अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।

13. होल्लिंग कर बकाया की वसूली नहीं

पूर्व में नियुक्त टैक्स कलेक्टर वर्ष 2011 में ही सेवा निवृत्त हो चुके थे एवं उनके स्थान पर 4 टैक्स कलेक्टर कमीशन पर रखे गये परन्तु कुछ दिनों के बाद कम कमीशन के वजह से 3 (तीन) कमीशन टैक्स कलेक्टर कार्य छोड़ दिये है वर्तमान में एक ही कार्यरत है। अतएव टैक्स की वसूली प्रभावित हुई है। बकाया होल्लिंग कर की वसूली की करवाई कैम्प लगाकर अभियान के तहत की जा रही है।

14.(i) बजट कार्य में सावजनिक सहभागिता नहीं

विदित हो कि प्रशिक्षित लेखापाल उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसका पूर्णतः पालन संभव नहीं हो पाया। बजट कार्य में जनसहभागिता हेतु कदम उठाया गया है और विभाग को उपलब्ध कराये गए बजट में जनसहभागिता की प्रति संलग्न किया गया, अंकेक्षण आपत्ति में उठाये गए बिंदु में एक छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।

14.(ii) बजट का अर्धवार्षिक समीक्षा नहीं

अनुपालन हेतु प्रयास किया जा रहा है।

15. वगैर सशक्त स्थाई समिति के स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का भुगतान किया गया

बगैर सशक्त स्थाई समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा चयनित ओउटसोर्स एजेसी वाणी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभागीय दिश-निदेश के आलोक में नगर पंचायत खुसरपुर में चार कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3343 दिनांक 05-11-2014 द्वारा उक्त चरों कर्मियों पर होने वाले संभावित व्यय की राशि 8,13,728.00 रूपये का ड्राफ्ट निदेशक बुडा के नाम से बना कर निश्चित रूप से लाने को कहा गया। उक्त पत्र के अनुपालन में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत खुसरपुर द्वारा चतुर्थ वित्त की आवंटित राशि में से संभावित व्यय की राशि राशि 8,13,728.00 रूपये का ड्राफ्ट निदेशक बुडा नगर विकास एवं आवास विभाग को ड्राफ्ट द्वारा दिया गया है इससे संबंधित विभाग द्वारा किये गए पत्राचार की छाया प्रति संलग्न किया जा रही है। अतः अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

16. नगर पंचायत की योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना

मात्र सरकार के निर्देशनुसार BRGF की ही योजनाए जिला योजना समिति को भेजा जाना है तदनुसार वहाँ से प्रेषित योजनाओं को ही क्रियान्वित कराया जाना है। अन्य 5 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार सरकार द्वारा निकाय बोर्ड को प्राप्त है। तदनुसार ही सम्पूर्ण कार्य नियमानुकूल है।

17.(i) आय व्यय सम्बन्धी अभियुक्ति

विदित हो कि सरकार के निर्देशनुसार दोहरी प्रणाली की लेखा व्यवस्था के अनुपालन के दिशा में करवाई किया जा रहा है जिसमे लेखापाल रोकड़ बही आंतरिक जानकारी के लिए पोषित किया जा रहा आपके निर्देशनुसार भविष्य पोषित करने का आदेश लेखापाल को दे दिया गया

है। सभी मदों का सब्सिडी रजिस्टर वित्ति वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 का पोषित है, जिसे आपके अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया गया था। साथ ही अंतशेष राशि का विवरणी आपको हस्तगत भी करा दिया गया है। दोहरा लेखा प्रणाली एवं सब्सिडीयरी रजिस्टर का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

17.(ii) बैंक पासबुक एवं कैशबुक में राशि अंतर

कैश बुक में सभी मदों का अलग अलग राशि का लेखा-जोखा है जबकि एक पास बुक में 3-4 मदों की राशि जमा है, निर्देशानुसार सुधार कर आपको हस्तगत करा दिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

18. SJSRY में अनियमित व्यय

इस सन्दर्भ में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गए दिश निर्देश के एक-एक पहलु को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया गया है एवं इसके आलोक में ही राशि का व्यय किया गया है अगले अंकेक्षण के दौरान इसे पुनः दिखा दिया जाएगा। अतएव अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।

19. मोबाईल टावर का बकाया

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्थगित रखा गया था कालान्तर में विभाग के निदेशानुसार समय-समय पर नोटिस दिया जाता रहा है। अतः इसे विलोपित किया जाए।

20. बजट प्रकलन के विरुद्ध कम लक्ष्यों की प्राप्ति

प्रर्याप्त कर्मचारियों एवं पद की योग्यता नहीं रखने वाले कर्मचारियों के आभाव तथा संबंधित विषय के पुर्नादत्त नहीं रहें के कारण अंशतः इसका पालन संभवत नहीं हो पाया। आवश्यक निर्देश सभी संबंधित कर्मियों को को दिया जा रहा है ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
अतः इसे विलोपित किया जाए।

21.(i) बैंक संधारण विवरणी तैयार नहीं

बैंक संधारण विवरणी आपके निर्देशानुसार तैयार कर आपको हस्तगत करा दिया गया है। छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है कृपया विलोपित किया जाए।

21(ii) 13 वें वित्त के रोकड़ वहीका अभीतक संधारण क्यों नहीं किया गया

13 वीं वित्त के रोकड़ वही का संधारण कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन


19/8/17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खुसरूपुर

क्रि.सं. (15)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

सं०सं०-01/स्था० (M.P.)-05/15 292 न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक 26/8/15

Out Sourcing के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराए गए Man Power के भुगतान के लिए प्राप्त अभिश्रवों की जांच एवं समीक्षा हेतु श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव एवं श्री विजय रंजन, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

ह०/-
(विजय रंजन)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 4389 / न०वि०एवं.आ०वि०, पटना, दिनांक-26/8/15
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी चयनित H.R. Agency को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक-01/स्था0 (विविध)-43/2014 3314
बिहार सरकार

न0वि0एव.आ0वि0

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

B:A Corporation Ltd.
G A. Digital Web World, Delhi
Comex Computer, Chapra
V:ni System Pvt. Ltd., Lucknow


पटना, दिनांक-25/11/14

विषय:- चयनित उम्मीदवारों का योगदान दिनांक-01.12.2014 तक निश्चित रूप से कराए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नगर निकायों में "Man Power" उपलब्ध कराने हेतु आपसे प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची के संबंध में कहना है कि चयनित उम्मीदवारों से एकरारनामा दिनांक-28.11.2014 तक निश्चित रूप से सम्पादित कराकर दिनांक-01.12.2014 तक पदस्थापित नगर निकाय में योगदान करवाना सुनिश्चित कराएँ।

विश्वासभाजन,



सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक 3739
बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन(वि.प्र.से.)
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
सभी नगर परिषद / पंचायत
कार्यपालक अभियंता, झुंडा

पटना, दिनांक 1/12/14

विषय:- नगर निकायों एवं झुंडा में Man Power उपलब्ध कराने के संबंध में।

माध्याशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सभी नगर निकाय एवं झुंडा को Man Power उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित एजेंसी का चयन विभाग द्वारा झुंडा एवं निकायवार किया गया है:-

1. सभी झुंडा - B S A Corporation Ltd.
2. पटना नगर निगम / नगर परिषद - G.A. digital WEB WORD PVT. LTD. DELHI
3. अन्य नगर निगम / शेष नगर परिषद (SPUR अन्तर्गत) - Comex Computer Chapra
4. सभी नगर पंचायत - VaniSystem Pvt. Ltd. Lucknow

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.12.2014 से चयनित एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये सभी पदों के कर्मियों को योगदान स्वीकृत करते हुए विभाग को प्रत्येक दिन 5.00 बजे अपराह्न तक अवगत कराना सुनिश्चित किया गया।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

सरकार के उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

सं०सं०-01/स्था० (एम०पी०)-82/14 ...102..... न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक- 9/3/16

निकायों/डुडा में नियमित कर्मियों के सर्वथा अभाव के फलस्वरूप कार्य निष्पादन में कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से निम्नांकित चार H.R. Agencies द्वारा मानव बल उपलब्ध कराया गया था :-

- (i) BSA Corporation Ltd. Pune
- (ii) G.A. Digital Web World, Delhi
- (iii) Comex Computer, Chapra
- (iv) Vani System Pvt. Ltd., Lucknow

2. यह प्रावधान किया गया था कि संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव बल का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप से मुख्यालय स्तर से किया जायेगा। इस हेतु शहरी स्थानीय निकायों से राशि प्राप्त की गयी और उस राशि से विभाग के द्वारा भुगतान हो रहा था।

3. निकायों/डुडा में H.R. Agencies के द्वारा मानव बल उपलब्ध कराये जाने संबंधी विभागीय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के संबंध में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें मुख्यतः बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-37 (10) के उल्लंघन का उल्लेख होता था। इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किये गये।

4. समीक्षा में इन कर्मियों की कार्यक्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह उठाये जाते रहे हैं। संबंधित चारों H.R. Agencies का एकरारनामा दिनांक-31.10.15 को समाप्त हो गया।

5. इन एजेंसियों का अवधि विस्तार करने के संबंध में विभाग के वरीय पदाधिकारियों की समिति गठित की गयी थी। इस समिति द्वारा इन एजेंसियों के कार्यकलाप एवं परिस्थितियों की समीक्षा करके अवधि विस्तार नहीं करने का परामर्श दिया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत चारों H.R. Agencies के एकरारनामा को विस्तारित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित डुडा/निकायें तदनुसार इन एजेंसियों से कोई कर्मियों की सेवा नहीं लेंगे।

ह०/-
(भरत झा)
निदेशक नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-

1674

/न०वि०एवं.आ०वि०, पटना, दिनांक-

9/3/16

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/BSA Corporation Ltd. Pune/G.A. Digital Web World, Delhi/Comex Computer, Chapra/ Yani System Pvt. Ltd., Lucknow को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, सभी नगर निगम (पटना नगर निगम को छोड़कर)/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत एवं कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक ~~नगर विकास~~ प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

२८

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट की तैयारी हेतु वार्डसभा की बैठक की कार्यवाही का मानक प्रपत्र

वार्ड संख्या :- 06

वार्ड सदस्य का नाम एवं मोबाइल नंबर :- श्री. आशीष कुमार 9931638407

नगर निकाय द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी का नाम एवं मोबाइल नंबर :- आशीष कुमार सिन्हा, 8409778596

- (उपस्थिति का प्रमाण अलग से संलग्न करें)

1. बजट 2016-17 की तैयारी के क्रम में वार्डसभा की बैठक हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये :-

(i) स्वच्छता (सभी घरों में नल-जल और कूड़ा संग्रहण करके, बाहरी द्वारा संग्रहण पर भरोसा न करना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों, पथों आदि पर नियमित रूप से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अतः वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा कर वार्डसभा का अभिमत दर्ज किया जाय।)

(ii) हर घर नल-जल (राज्य सरकार का निश्चय है कि सभी घरों तक नल द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। वार्ड की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा की जाय और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो कार्य किये जाने हों, उसका निर्धारण करके अंकित किया जाय।)

(iii) सबके लिए शौचालय (सबके लिए शौचालय अनिवार्य है। इस हेतु सरकार की योजना चल रही है, जिसमें शौचालयविहीन परिवारों को कुल 12,000/-रुपये (बारह हजार रुपये) की सहायता अनुमान्य है। वार्ड के सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की जाय और वार्डसभा का अभिमत दर्ज किया जाय। इस क्रम में वार्ड के शौचालयविहीन परिवारों की सूची, जो नगर निकायों द्वारा बनायी गयी है, वह सार्वजनिक तौर पर पढ़कर, वार्डसभा से अनुमोदित करायी जाय। इसमें गलत नाम जुड़ा है तो उन्हें हटाया जाय और सही नाम छूटा है तो उन्हें शामिल कराया जाय। जिन परिवारों के पास शौचालय बनाने के लिए भूमि नहीं है, उनके प्रयोजन हेतु सामुदायिक शौचालय के प्रस्ताव पारित किये जाय तथा वार्ड के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय एवं मुनालय की संचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित की जाय।)

(iv) सबके लिए आवास (सबके लिए आवास योजना के चारों घटकों के बारे में चर्चा की जाय। नगर निकाय द्वारा गृहविहीन परिवारों की तैयारी की गयी सूची, वार्डसभा में पढ़कर सुनायी जाय। इसमें गलत नाम जुड़ा है तो उन्हें हटाया जाय और मात्र परिवार छूटे हैं तो उन्हें शामिल किया जाय।)

वाडि

वाडि नं. ४

मै

वोपहर

१२

जिल्ले वाडि

सदस्य नं. २२ निकाय नं. २२

प्रतिनियुक्त निकाय के उपस्थिति

किया जाता

निकाय नं. २२
जिल्ले वाडि
का सदस्य

निकाय नं. २२
१८/०१/१६
निकाय नं. २२
प्रतिनियुक्त कर्मी
का हस्ताक्षर